

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत — उपखण्ड अधिकारी मुकाम — जहाजपुर (भीलवाडा)


वंशीलाल पिता छीतर धोबी निवासी रोपा वगैरा

बनाम

प्रहलाद पिता रामस्वरूप जाति जाट निवासी रोपा वगैरा

किस्म मुकदमा प्रा० पत्र 111, 128 एल. आर. ए. मुकदमा नं. 347/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुये
17 .05.2023	<p>प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जॉच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम रोपा द्वितिय पटवार हल्का रोपा द्वितिय तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा की आराजी नम्बर 1060, 1061, 1062, 1063, 1064 कुल किता 5 रकबा 1.9425 हैक्टेयर एवं आराजी नम्बर 1053, 1081, 1088 कुल किता 3 रकबा 0.8741 हैक्टेयर स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पडोसी हैं। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।</p> <p>मैने पत्रावली का अवलोकन कियां सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबन्दी सम्वत 2074 से 2077 तक के अवलोकन से स्पष्ट हैं कि प्रार्थी पत्थरगढी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार हैं प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया हैं। अतः न्यायालय पत्थरगढी किया जाना एचित समझता हैं।</p> <p>अतः प्रार्थना पत्र 111/128 रा.ले. रे. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा भूमि ग्राम रोपा द्वितिय पटवार हल्का रोपा द्वितिय तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा की आराजी नम्बर 1060, 1061, 1062, 1063, 1064 कुल किता 5 रकबा 1.9425 हैक्टेयर एवं आराजी नम्बर 1053, 1081, 1088 कुल किता 3 रकबा 0.8741 हैक्टेयर की उभय पक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक रोपा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 1000 रु. तय किये जाते है। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रु. राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नही किया जावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। पालना रिपोर्ट शिघ्र प्रस्तुत करे।</p> <p>आदेश आज दिनांक 17.05.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	


उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर(भीलवाडा)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

कमांक /रीडर / 2023 / 347 / 2023


दिनांक :- 17.05.2023

निमित्त

तहसीलदार जहाजपुर

विषय :- प्र. सं. 347/23 अनवान बंशीलाल पिता छीतर, श्रीमति शान्ति देवी पत्नि छीतर जाति धोबी निवासी रोपा बनाम प्रहलाद पिता रामस्वरूप जाति जाट, बन्नालाल पिता देवकरण जाति जाट, रामकुवार पिता सुवा जाति जाट, शंकर पिता लादू जाति खाती, नाथू पिता बालू जाति खाती, रामप्रसाद पिता रामरतन जाति धाकड, हीरा पिता सुवा जाति धाकड, मुकेश पिता बरदू, भेरू पिता धुकल जाति गाडरी, नाथू पिता भूरा जाति जाट, माधू पिता बालू जाति जाट निवासीयान रोपा तहसील जहाजपुर जिला- भीलवाडा राजस्थान पत्थरगढी की पालना करने बाबत।

उपरोक्त विषयांकित अनवान के प्रकरण में ग्राम रोपा द्वितीय पटवार हल्का रोपा द्वितीय तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा की आराजी नम्बर 1060, 1061, 1062, 1063, 1064 कुल किता 5 रकबा 1.9425 हैक्टेयर एवं आराजी नम्बर 1053, 1081, 1088 कुल किता 3 रकबा 0.8741 हैक्टेयर भूमि की उभय पक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु भु अभिलेख निरीक्षक रोपा को कमीश्नर नियुक्ति किया जाता है। कमीश्नर फीस 1000 रु. तय किये जाते हैं। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रूपये राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।


उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाडा)